10/5/22 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील व अप्रार्थी वकील उपस्थित। बहस मुताबिक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो का परिशीलन किया गया। सुसंगत विधिक प्रावधानो का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपनी विवादग्रस्त भूमि ग्राम बोकड़ा के खसरा संख्या 2789/1866 व 2790/1866 की बाद सीमांकन कर पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

चूंकि प्रार्थी उक्त विवादग्रस्त भूमि का खातेदार काश्तकार है एवं अप्रार्थी वकील द्वारा भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर अनापत्ति जाहिर की है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में कोई विधि० अड़चन नहीं है। प्रत्येक खातेदार हुजूक अपने खातेदारी भूमि का बाद सीमांकन पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पीपाड़शहर को आदेशित किया जाता है कि ग्राम बोरून्दा के ख.स. 2789/1866 व 2790/1866 का बाद सीमांकन पत्थरगढ़ी करें। आवश्यकता पड़ने पर पुलिस इमदाद नियमानुसार तहसीलदार पीपाड़शहर प्राप्त करें। सीमांकन हेतु प्रार्थी नियमानुसार शुल्क जमा करें। आदेश आज न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)